भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- *304

गुरुवार, 21 अगस्त, 2025/30 श्रावण, 1947 (शक)

महिला श्रम बल भागीदारी दर का स्थिर बने रहना

***304 श्री देरेक ओब्राईन:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) में समग्र वृद्धि के बावजूद, विशेष रूप से औपचारिक रोजगार में शहरी महिलाओं की एलएफपीआर दर के स्थिर बने रहने के संबंध में विश्लेषण किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या औपचारिक क्षेत्र की नौकरियों तक महिलाओं की पहुँच में सुधार करने के लिए नियोक्ता प्रोत्साहन, लचीली कार्य नीतियाँ, मातृत्व सुरक्षा या डिजिटल कौशल कार्यक्रम जैसे लक्षित नीतिगत हस्तक्षेपों पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) क्या मंत्रालय ने, विशेष रूप से महानगरीय और टियर 2/3 शहरों में, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए एक एकीकृत रूपरेखा बनाने हेतु कौशल विकास, महिला एवं बाल विकास या शहरी कार्य मंत्रालयों के साथ समन्वय की कोई योजना तैयार की है?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(डॉ मनसुख मांडविया)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*

महिला श्रम बल भागीदारी दर का स्थिर बने रहना के संबंध में श्री देरेक ओब्राईन, सांसद द्वारा दिनांक 21.08.2025 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *304 के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (ग): आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रोजगार और बेरोजगारी का आधिकारिक डेटा स्रोत है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की शहरी महिलाओं के लिए अनुमानित श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) वर्ष 2017-18 में 20.4% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 28.0% हो गई है। इसके अलावा, शहरी महिलाओं के लिए रोज़गार को दर्शाने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2017-18 में 18.2% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 26.0% हो गया है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार महिला श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएँ कार्यान्वित कर रही है। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोज़गार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

सरकार कौशल भारत मिशन (एसआईएम) को लागू कर रही है जिसका उद्देश्य कौशल विकास केंद्रों/विद्यालयों /महाविद्यालयों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश में विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) आदि के तहत कौशल, पुन: कौशल और कौशल संवर्धन प्रशिक्षण प्रदान करना है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं सहित उद्योग से संबंधित कौशल प्रदान करके भविष्य के लिए सक्षम बनाना है।

सरकार, महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए उन्हें महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद इंजीनियरिंग की मेधावी महिला छात्राओं को **'प्रगति'** और **'सरस्वती'** जैसी छात्रवृत्तियां भी प्रदान करती है जिससे इन विषयों में महिलाओं के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा दिया जाता है। उपरोक्त के अलावा, कौशल विकास और

उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने अप्रैल 2025 में महिलाओं के लिए एआई करियर पहल भी शुरू की है, जहां दो वर्षों की अवधि में, लड़कियों के लिए प्रशिक्षण और सक्षम आर्थिक अवसर कार्यक्रम के फोकस होंगे।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मिशन शक्ति के अंतर्गत 'पालना' घटक कार्यान्वित कर रहा है, जिसके अंतर्गत डे-केयर की सुविधाएं और बच्चों की सुरक्षा मुख्य बिंदु हैं। ‘‘पालना’’ के अंतर्गत, मंत्रालय ने बच्चों की देखभाल की निशुल्क सेवाओं का आंगनबाड़ी सह-शिशु गृह (एडब्ल्यूसीसी) के माध्यम से विस्तार किया है।

सरकार ने "नव्या" (युवा किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आकांक्षाओं का पोषण) भी शुरू किया है, जिसका उद्देश्य 16 से 18 वर्ष की किशोरियों को मुख्य रूप से गैर-पारंपरिक और नए प्रकार की नौकरियों/जॉब रोल्स् में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है।

इसके अलावा, सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोज़गार सृजन, रोज़गार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना नामक रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंज़ूरी दी है।

महिला कामगारों के लिए समान अवसरों और अनुकूल कार्य वातावरण के लिए श्रम कानूनों में कई सुरक्षात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में सवैतनिक प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने, 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य शिशुगृह सुविधा आदि जैसे प्रावधान शामिल हैं।

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 में पुरुष एवं महिला कामगारों को समान कार्य अथवा समान प्रकृति के कार्य के लिए बिना किसी भेदभाव के समान पारिश्रमिक के भुगतान का प्रावधान है।

इसके अलावा, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता (ओएसएच), 2020 में प्रावधान हैं कि महिलाएं सभी प्रकार के कार्यों के लिए सभी प्रतिष्ठानों में नियोजित होने की हकदार होंगी और उन्हें सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद उनकी सहमति से नियोजित किया जा सकता है, जो सुरक्षा, छुट्टियों और काम के घंटों या नियोक्ता द्वारा पालन की जाने वाली किसी भी अन्य शर्तों से संबंधित ऐसी शर्तों के अधीन है जैसा कि उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

केंद्रीय बजट (2024-25) में, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उद्योग जगत के सहयोग से कामकाजी महिला हॉस्टलों और शिशुगृह की स्थापना की घोषणा की गई।

*****